रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1994/ज्येष्ठ 30, 1916
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1994/JYAISTHA 30, 1916

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1994

का. आ. 456 (अ) :—शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या—एच—11013/12/82—डी. डी. वी. ए. दिनांक 19 जून, 1990 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान), विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन करने के लिए आदेश दिए हैं। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने संकल्प संख्या 126/92 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में संशोधन कर दिया है। बाद में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय

ने राजपत्र में इसके प्रकाशन के पश्चात् संशोधित विनियम के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन अपने पत्र संख्या एच—11013/12/82/डी. डी. वी. ए. दिनांक 20-7-93 के द्वारा दे दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 का संशोधित विनियम 19 निम्न प्रकार है :—

"आबंटिती/अवक्रेता (हायरर) की सम्पत्ति की स्थिति के बारे में आपत्ति करने की रोक है :—

प्राधिकरण किराया खरीद अथवा बिक्री के समय मौजूदा स्थिति में सम्पत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा। आबंटिती अथवा अवक्रेता (हायरर) सम्पत्ति की स्थिति के सम्बन्ध में भली-भांति जानकारी प्राप्त कर लेगा और उसे बाद में सम्पत्ति की स्थिति के बारे में शिकायत करने अथवा आपत्ति करने अथवा कोई दावा प्रस्तुत करने की रोक होगी बशर्ते कि दि. वि. प्रा. ने उस सम्पत्ति को अपने खर्च पर ठीक करवा दिया हो :—

(1) वर्षा के कारण रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष, सम्पत्ति का कब्जा लेने की तिथि के बाद बारिश का एक मौसम बीत जाने अथवा छह महीने, जो भी बाद में हों, के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सेनेटरी अथवा जल-आपूर्ति अथवा बिजली की दोष पूर्ण फिटिंग से रिसाव, सीलन और टपकने जैसे दोष सम्पत्ति के कब्जा लेने की तिथि से छह माह के अन्दर लिखित में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए हों।"

[सं. —एफ 2 (62)/90/पी एण्ड सी आ]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1994

S.O. 456(E).—The Govt. of India, Ministry of Urban Development, vide its letter No. H-11013|12|82-DDVA dated 19th June 1990, asked Delhi Development Authority to amend REGULATION 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Accordingly, the Delhi Development Authority vide its resolution No. 126/92 has amended the

regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates), Regulation 1968. Subsequently, the Govt. of India, Ministry of Urban Development vide its letter No. H-11013|12|82-DDVA dated 20-7-93, has conveyed their approval for implementation of the amended Regulation after publication in the Gazette. The amended Regulation 19 of Delhi Development Authority (Management & Disposal Housing Estates), Regulation 1968 is as under :—

"Allottee/Hirer precluded from objecting to property circumstances :

The Authority shall offer the property on Hire-purchases or Sale on the basis of property circumstances that exist at the time. The allottee or Hirer shall fully make himself conversent with the property circumstances and he shall be precluded from making complaint or raising objections or setting up claims regarding the property circumstances at any subsequent stage, provided that DDA shall set right, at its own cost :

(i) Such defects of seepage, dampness and leakage on account of rain as are brought to the notice of the DDA, in writing upto the period of passing of One mansoon season or six months, whichever is later, from the date of taking over possession of the property ;

(ii) Such defects of seepage, dampness and leakage from sanitary or water supply fittings, as well as the defective electrical fittings fitted by DDA, as are brought to the notice of the DDA, in writing, within six months from the date of taking over possession of the property".

[F. No. F2(62)90/P&C(H)]

VISHAV MOHAN BANSAL, Commr-cum-Secy.
(D.D.A.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994